

स्वाशासन उपखण्ड अधिकारी पिडवा जिला झालावाड (राज.)

पीठाधीन अधिकारी:-विनेश कुमार गीणा आर.प.प.स.

प्रकरण सं० 74 / 2020

तागर दिनांक: 08.10.2020

सजवान

- 1- गेगीचंद पुत्र ईश्वरचंद जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 2- बाबुलाल पुत्र ईश्वरचंद जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 3- बालमुकंद पुत्र ईश्वरचंद जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल

- वादीगण

बनाम

- 1- अनार पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 2- अरुण पुत्र रामनिवास जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 3- कमलीबाई बेवा प्रेमलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 4- तूकीबाई पुत्री मदनलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 5- चैनसिंह पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 6- जगदीश पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 7- जेतराम पुत्र करण जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 8- जवानिया पुत्र हीरू जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 9- पुजा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 10- प्रेमबाई पुत्री जुवारीलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 11- पवन पुत्र रामलाल जाति नट निवासी विजनियाखेडी तहसील पिडवा
- 12- फुलवाबाई पुत्री मदनलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 13- वनेसिंह पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 14- वालीबाई पुत्री मदनलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 15- ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 16- गेहरवान पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 17- मानसिंह पुत्र मदनलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 18- राजाराम पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल
- 19- रामकन्या पुत्री प्रेमलाल जाति नट निवासी चखलाई तहसील सुनेल



✓

उपखण्ड अधिकारी
पिडवा, जिला झालावाड (राज.)

- 20- लालचंद पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 21- लीलाबाई पुत्री ईश्वरचंद पत्नि घनश्याम जाति नट नि. देवली तहसील रामगंजमंडी
- 22- शिल्पा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 23- सपना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 24- सलेमान पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 20- सुहागबाई बेवा मदनलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 20- सायताबाई पुत्री ईश्वरचंद पत्नि बापुलाल जाति नट नि. कुमडा तहसील राजगढ़
- 27- सोना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 28- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल राज.

— प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा-91,88,63 (ए), 209 राज.टी.एक्ट बाबत विलोपित किये जाने नाम व हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर-11, 21, 26 एवं जोडे जाने नाम वादीगण के हिस्से मे वास्ते घोषणा खातेदारी अधिकार एवं दुरुस्ती रिकार्ड

उपस्थिति अभिभाषकगण -

अभिभाषक वादीगण - श्री मसूद अहमद खान
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 27 - एकतरफा
प्रतिवादी सं. 28 - परोकार सरकार



निर्णय दिनांक : 15.05.2026

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक जामबंदी सर्वत 2075 से 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020) से स्थाई ग्राम पाऊखेडी तहसील सुनेल जिला झालावाड में नई खाता संख्या-122 व पुरानी खाता संख्या-93 की आराजीयात खसरा नम्बर-380/95 रकबा 0.0632 हैक्टेयर बारानी सोयम व खसरा नम्बर-381/102 रकबा 0.3288 हैक्टेयर बारानी सोयम खसरा नम्बर-96 रकबा 2.6684 हैक्टेयर बारानी दोयम कुल किता 3 कुल रकबा 3.

✓
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झारखण्ड (राज०)

0604 हैकटेयर विधत है। इन आराजीयात को दावे में दाद ग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है मकल जामवदी संलग्न है। वादीगण की तीनों बहनों निगोला, लीलाबाई, सायताबाई ने उनका हिस्सा वादीगण के हक में छोड़कर उस हिस्से का कब्जा वादीगण को सम्पला दिया है। दुभाग्य से बहन निर्माला का स्वगवाश हो गया है उसके स्थान पर उसके प्रति प्रतिवादी नम्बर 11 पवन का नाम दर्ज हो रहा है। मगर उसका कोई हक या कब्जा नहीं है। निगोला का 1/42 हिस्सा रहा है। प्रतिवादी नम्बर-21 लीलाबाई एवं प्रतिवादी नम्बर-20 सायताबाई दोनों का 1/336-1/336 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर-21 और 20 को निर्माला यानी उसके पति प्रतिवादी नम्बर-11 पवन को अपना अपना हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने व जोडे जाने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है। इस तरह से वादीगण को प्रतिवादीगण नम्बर-11, 21, 26 के हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होगये है। इसलिए वादीगण को इस आशय की घोषणा करवाने एवं प्रतिवादीगण नम्बर-11, 21, 26 के नाम रिकार्ड से हटवाये जाकर कम करवाने एवं तदानुसार दुरुस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त है। दावे का करण गत सोमवार को पैदा हुआ जब वादीगण ने हल्का पटवारी से प्रतिवादीगण नम्बर-11, 21, 26 के नाम खाते से कम करने एवं उनके हिस्से की आराजी वादीगण के नाम हिस्से बराबर दर्ज करने का आग्रह किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में दावा पेश करने का परामर्श दिया अतः दावा प्रस्तुत है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार को लेण्ड होल्डर होने की वजह से जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल फार्मल पक्षकार पार्टी बनया गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा स्वीकार एवं डिक्री फरमाया जाकर -

अ- ग्राम पाकुरखेडी में स्थित खाता संख्या 122/93 में से प्रतिवादीगण नम्बर-11, 21, 26 के नाम कम किये जाकर उनके नाग व हिस्से में दर्ज आराजीयात हिस्सा बराबर से वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने तथा



W

उपखण्ड अधिकारी
पिछावा, जिला अजमेर (राज.)

तदानुसार रिकार्ड में दुरुस्ती एवं अमल दरामद करने की डिकी प्रदान करने की कृपा करे।

ब- अन्य सहायता जो भी न्यायोचित एवं आवश्यक हो धारा 209 राज, टी. एक्ट के प्रावधानों की रेशनी में वादीगण को प्रदान किये जाने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 27 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुए जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 02.08.2024 को प्रतिवादी सं. 1 से 27 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. प्रतिवादी सं. 11, 21, 26 की ओर से दिनांक 21.10.2021 को इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि दावे की मद नम्बर 1 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर-2 में जो तथ्य वादीगण ने दर्ज करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर-2 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर-3 कानूनी है तथा स्वीकार है। दावे की मद नम्बर-4 कानूनी है और जवाब की मोहताज नहीं है। दावे की मद नम्बर-5 कानूनी है औ जवाब की मोहताज नहीं है। दावे की अंत में चाही गई प्रार्थना स्वीकार है प्रार्थना की उप मद अ ग्राम पाऊखेडी में स्थित खाता संख्या 122/93 में से हम प्रतिवादीगण नम्बर-11, 21, 26 के नाम कम किये जाकर हमारे नाम व हिस्से में दर्ज आराजीयात हिस्सा बराबर से वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने तथा तदानुसार रिकार्ड में दुरुस्ती एवं अमल दरामद किये जाने में हम प्रतिवादीगण नम्बर-11, 21, 26 को किसी भी प्रकार की आपत्ति व ऐतराज नहीं है वादीगण का दाव डिकी किये जने में हम प्रतिवादीगण की पूरी सहमति है। ब- प्रार्थना की उप मद ब स्वीकार है। अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद डिकी किये जाने की कृपा की जाये।

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पावखेडी तहसील सुनेल के खाता सं. 122 की जमाबंदी सं. 20752-78 प्रदर्श 1, नामां.



W
उपखण्ड अधिकारी
पिपड़ा, जिला झरखण्ड (सक.)

सं. 585 दिनांक 20.04.2016 प्रदर्श 2, नामा.सं. 568 दिनांक 05.08.2015 प्रदर्श 3 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में बालमुकन्द पि. ईश्वरचन्द, नेमीचन्द पि. ईश्वरचन्द, जानकीलाल पि. लक्ष्मण, बाबूलाल पि. ईश्वरचन्द PW 1 to PW 4 के शपथपत्र/बयान कराये।

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने ग्राम पाउखेड़ी तहसील सुनेल की खाता संख्या 122/92 की आराजियात के संबंध में दावा पेश किया है जिसमें वादी नेमीचन्द 1/42 हिस्सा, वादी बाबूलाल का 1/336 हिस्सा, वादी बालमुकन्द का 1/42 हिस्सा दर्ज है। वादीगण की तीनों बहनें, निर्मलाबाई, लीलाबाई व सहायताबाई ने उनका हक व हिस्सा पूर्व में ही वादीगण के हक में छोड़ कर कब्जा वादीगण का संभला दिया है। निर्मलाबाई जो वादीगण की बहन है उसका स्वर्गवास हो चुका है उसके स्थान पर उसके पति प्रतिवादी नं. 11 का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है मगर उसका आराजी पर कोई कब्जा-काशत नहीं है। निर्मलाबाई का 1/42 हिस्सा दर्ज रहा है। प्रतिवादी नं. 21 लीलाबाई व प्रतिवादी नं. 26 सहायताबाई का यानी दोनों का 1/336-1/336 हिस्सा है। प्रतिवादी नं. 11, 21 व 26 को उनका हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण नं. 11, 21 व 26 का नाम रेकार्ड से कम करके हटाया जाये तथा इसी अनुसार रेकार्ड में दुरुस्ती की जाये। उक्त खाता संख्या की आराजी में से प्रतिवादीगण नं. 11, 21 व 26 का नाम कम किया जाकर उनके हिस्सों की आराजी हिस्सा बराबर से वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाये। इसी अनुसार रेकार्ड में दुरुस्ती व अमल दरामद किया जाये। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज में पेश किये है जिन्हे प्रदर्शित कराया है। मौखिक साक्ष्य में PW1 TO PW4 के बयान कराये है। इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से अपना वाद प्रमाणित किया है। प्रतिवादीगण नं. 11, 21 व 26 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया है शेष प्रतिवादीगण बाहजुद सूचना के अनुपस्थित रहे है तथा उन्होने वादीगण के



✓
उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला सतना, मध्य प्रदेश (सं. 5)

11

वाद का कोई विरोध नहीं किया है व अपनी मोन स्वीकृति दी है। अतः वादीगण की ओर लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार एवं डिक्री फरमाये जाने की कृपा की जाये।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण कर कथन है कि ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं० 43 व 44 में उनकी तीनों बहनो-लीलाबाई, निर्मलाबाई व सहायता बाई ने अपने अपने हिस्से का वादीगण के पक्ष में हक त्याग कर कब्जा संभला दिया था लेकिन वादीगण द्वारा ना तो हक त्याग करने की कोई तिथि/वर्ष या स्थापन का अंकन किया है और ना ही कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र पत्रावली में पेश किया है। हक त्याग करने का केवल कथन मात्र किया है। भारतीय कानून के अनुसार किसी अचल संपत्ति में अपने हक व अधिकारो का त्याग लिखित में, दोनों पक्षारो द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो गवाहो की उपस्थिति में उचित स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1) के अनुसार सौ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण या अधिकार सृजन हेतु दस्तावेज का लिखित और पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के अनुसार अचल संपत्ति के जिन दस्तावेजो का धारा 17 के अधीन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यदि वे अपंजीकृत है तो उनका कोई कानुनी प्रभाव नहीं होगा। ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हक या अधिकारो का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे दस्तावेज को केवल कोलटेरल/संपार्श्विक पर्पज के लिये ही साक्ष्य में ही ग्रहण किया जा सकता है, ना कि संपत्ति से जुड़े किसी लेन देन या अधिकार के सबूत के रूप में न्यायलय में स्वीकार किया जायेगा।

7. भारतीय हिन्दु विधि में केवल संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक सहदायिक अपने निहित हिस्से का अन्य सभी सहदायिको की सहमति से मौखिक रूप से हक त्याग कर सकता है लेकिन इसके लिये पुख्ता सबूतो या

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झारखण्ड (राज्य)

साक्ष्यो जैसे कि स्वतंत्र गवाह, रिकॉर्ड में नामांतण की प्रविष्टि, स्पष्ट हकत्याग कर्ता व अन्य सहदायिको की सहमति, रसीद धादि से साबित होना अनिवार्य है। संपति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 के तहत यदि कानून स्पष्ट रूप से लिखित दस्तावेज की मांग नहीं करता है तो मौखिक हस्तांतरण मान्य हो सकता है। भारत में मौखिक हकत्याग का मुद्दा कानूनी रूप से काफी जटिल है। और मजबूत साक्ष्य पर निर्भर करता है। केवल एक पक्ष द्वारा हक त्याग का कथन करने मात्र के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि हक त्याग विलेख अपंजीकृत है तो विवाद उत्पन्न होने पर यह न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा।

8. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने रोशनबेन डेरैया बनाम हसीनाबेन 2021 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि जिस दस्तावेज के तहत किसी संपति पर अधिकार छोड़ा जाना है, उसे पंजीकाण अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। जब तक दस्तावेज लिखित नहीं होगा तब तक ऐसे दस्तावेज को त्याग विलेख नहीं माना जायेगा।

हाल ही में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अभिनिर्धारित किया है कि विरासत में मिली संपति के लिये हक त्याग विलेख को कानून की अदालत में स्वीकार्य होने के लिये पंजीकृत होना चाहिये। विरासत में मिली संपति के मामलों में केवल त्याग विलेख होना ही पर्याप्त नहीं है। न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने के लिये हक त्याग विलेख को सक्षम अधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए।



9. माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा सुरेश बनाम वलसाला 2018 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपति में एक सहदायिक द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट द्वारा सभी की सहमति से मौखिक हक त्याग किया जा सकता है लेकिन इसका साबित होना आवश्यक है। कानूनी उलझनों से बचने के लिये ऐसा हक त्याग पत्र विलेख सामान्यतः लिखित व पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा ही अभिनिर्धारण माननीय बॉम्बे उच्च


उपखण्ड अधिकारी
दिङ्गावा, जिला कलसक (दक्षिण)

न्यायालय द्वारा गंगधार पनधारी हरदे बनाम उत्तम 2008 मामले में किया गया है।

10. हस्तागत प्रकरण में लिखित हक त्याग पत्र, स्वतंत्र गवाहों एवं अन्य दस्तावेजों के अभाव में वादीगण की तीनों बहनो द्वारा बताये गये बिना तिथि के मौखिक हक त्याग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वादीगण की एक बहन निर्मलाबाई की मृत्यू हो कर फौती इंतकाल से पति पवन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज हो चूका है। वादीगण की मां जडाब बाई का स्वर्गवास होना और उसके द्वारा अपने जीवन काल में वादीगण के पक्ष में मौखिक हक त्यागकर कब्जा छोड़ना भी साबित नहीं है। वादीगण का कथन है और साक्ष्य गवाहों से साबित भी है कि वादग्रस्त आराजी पर बरसों से सहखातेदार -माता जडाब बाई व तीनों बहनो के हिस्से पर अन्य सहखातेदार -वादीगण का ही कब्जा कास्त चला आ रहा है लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि शामिलती आराजी में एक सहखातेदार के विरुद्ध अन्य सहखातेदार को ना तो प्रतिकूल कब्जे कास्त में माना जा सकता है और ना ही राजस्थान कास्ताकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे कास्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।




11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम पाउखेडी तहसील सुनेल के खाता सं. 122 की वादग्रस्त आराजी किता 3 रकबा 3.0604 है., भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं0 11, 21 व 26 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में अस्वीकार किये जाने योग्य है।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर, जिला जयपुर (रकबा)

क्रियात्मक आदेश:-

12. परिणामस्वरूप ग्राम पाउखेडी तहसील सुनेल के खाता सं. 122 की वादग्रस्त आराजी किता 3 रकबा 3.0604 है., भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं0 11, 21 व 26 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


15/5/26
(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ाना
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ाना, जिला झालावाड़ (राज0)



डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 73 / 2020

| दायर दिनांक: 08.10.2020

उनवान

- 1— नेमीचंद पि. ईसाखिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 2— नरवरसिंह पि. ईसाखिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 3— बाबुलाल पि. ईसाखिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 4— बालमुकनंद पि. ईसाखिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

- 1— अनार पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 2— अरुण पुत्र रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 3— कमलीबाई बेवा प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 4— चूकीबाई पुत्री मदनलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 5— चैनसिंह पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 6— जगदीश पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 7— जंतराम पुत्र करण जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 8— जवानिया पुत्र हीरू जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 9— पुजा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 10— प्रेमबाई पुत्री जुवारीलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 11— पवन पुत्र रामलाल जाति नट निवासी बिजनियाखेडी तहसील पिडावा
- 12— फुलवाबाई पुत्री मदनलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 13— बनेसिंह पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 14— बालीबाई पुत्री मदनलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 15— ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 16— मेहरबान पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
- 17— मानसिंह पुत्र मदनलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

- 18-राजाराम पुत्र जुवारीलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 19- रामकन्या पुत्री प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 20- लालचंद पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 21- लीलाबाई पुत्री ईश्वरचंद पत्नि घनश्याम जाति नट नि. देवली तहसील
 रामगंजमंडी
 22-शिल्पा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 23-सपना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 24- सलेमान पुत्र प्रेमलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 20- सुहागबाई बेवा मदनलाल जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 20-सायताबाई पुत्री ईश्वरचंद पत्नि बापुलाल जाति नट नि. कुमडा तहसील
 राजगढ़
 27-सोना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
 28-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल राज.

| - - प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा-91,88,63 (ए), 209 राज.टी.एक्ट बाबत् विलोपित किये जाने नाम व हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर-9, 17, 22 एवं जोडे जाने नाम वादीगण के हिस्से मे वास्ते घोषणा खातेदारी अधिकार एवं दुरुस्ती रिकार्ड

उपस्थिति अभिभाषकगण -

अभिभाषक वादीगण - श्री मसूद अहमद खान
 अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 23 - एकतरफा
 प्रतिवादी सं. 24 - पेरोंकार सरकार

यह नुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई.....X..... रुबरू.....X.....
 भिनजानित मुदई रुबरू ग्राम पाउखेड़ी तहसील सुनेल के खाता सं.
 122 की वादग्रस्त आराजी किता 3 रकबा 3.0604 है., भूमि के संबध में
 प्रतिवादी सं0 11, 21 व 26 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने
 का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित
 में खारिज किया जाता है।



Umm
 15/5/26
 (दिनेश कुमार भीणा, आरएस)
 उपखण्ड अधिकारी, पिपड़ावा
 जिला इलावाड, राज
 पिपड़ावा, जिला इलावाड (राज)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद वशारह ...
 ...X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
 अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.05.2026 को जारी किया गया।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी पिडावा
 पिडावा जिला अदालत रायचूर
 मुदालयह

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| मुदई | | | |
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह संवृत | बाबत इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी पिडावा
 उपखण्डावांगई पिडावरी
 पिडावा, जिला अदालत (सक)

